न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

अपील/टीए/37/2019

मंजू बनाम हीरालाल वगैरह

श्री बी एल गुर्जर अधिवक्ता अपीलाण्ट

दिनांक	कार्यवाही विवरण	की गई कार्यवाही मय इन्यीसीयियल
24.5.2019	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी की अन्तरिम स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाकर बाद में बिना सभी पक्षकारान को तामील हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अंकन कर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर दी जिससे व्यथित होकर यह अपील की गई है । जिसमें नियम 3–ख का भी हवाला दिया गया है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया गया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 4.1.2019 अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8, 10, 11 एवं 15 व 16 के नोटिस तामील अप्राप्त होने के बाद स्थगन आवश्यक बहस सुने बिना व प्रथमदृष्टया प्रकरण बनने, अपूर्णीय क्षति कारित होने तथा सुविधा का संतुलन के बिन्दुओं पर विवेचन बिना ही अन्तरिम आदेश जारी कर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाण्ट मंजू रेस्पोडेण्ट संख्या 1 हीरा लाल की पुत्री है तथा पैतृक सम्पति में 1/9 हिस्से का घोषणात्मक दावा लाई है। प्रथमदृष्टया पैतृक सम्पति में अपीलाण्ट 1/9 हिस्से का अनुतोष चाहती है जिस बाबत निर्णय होना शेष है। अपीलाधीन आराजी का विक्रय हो जाना भी अपील मेमो से प्रकट हुआ है परन्तु राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज नहीं हुआ है । स्थगन अनुतोष अपने वाद में चाहे अनुतोष से अधिक सम्पूर्ण पैतृक आराजी का चाहा गया है , जो न्यायहित में दिया जाना उचित है । परन्तु बाद मनन न्यायहित में तथा वाद बहुलता के दृष्टिगत विवादित आराजियात के रिकार्ड की यथास्थिति अन्तरिम रूप से बनाये रखते हुए प्रकरण इस स्तर पर ही रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं । अपीलाण्ट आगामी तारीख पेशी पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर रजिस्टर्ड नोटिस प्रस्तुत करावें। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सभी प्रभावित पक्षकारों को सुनकर गुणावगुण पर प्रार्थना पत्र को निर्णित करे।	

आदेश आज दिनांक 24.5.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

24/5/19

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा